



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2009/श्रावण 27, 1931

No. 456]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2009/SRAVANA 27, 1931

पोत परिवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2009

New Delhi, the 18th August, 2009

सा.का.नि. 579(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 435भ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अधिनियम के भाग XVक (मत्स्य नौकाएं) के अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करना असाध्य है, 20 मीटर से कम लम्बाई की भारतीय मत्स्य नौकाओं को सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए वाणिज्यिक पोत परिवहन (भारतीय मत्स्य नौका निरीक्षण) नियम, 1988 की अपेक्षाओं से इस शर्त के अधीन छूट देती है कि ऐसी मत्स्य नौकाएं निम्नलिखित नियमों और विनियमों में विहित उपस्कर ले जाएं और उन्हें कार्यकुशल स्थिति में बनाए रखें :—

G.S.R. 579(E).—In exercise of powers conferred by Section 435X of the Merchant Shipping Act, 1958(44 of 1958) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being satisfied that it is impracticable to comply with the requirements of the rules made under Part XV A (Fishing Boats) of the said Act, hereby exempts the Indian Fishing Boats of less than twenty meters in length from the requirements of the Merchant Shipping (Indian Fishing Boats Inspection) Rules, 1988 for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette subject to the condition that such Fishing Boats shall carry the equipments prescribed in following rules and regulations and the same are maintained in efficient condition :—

1. वाणिज्यिक पोत परिवहन (अग्निशमन उपयंत्र) नियम, 1969 अथवा वाणिज्यिक पोत परिवहन (अग्निशमन उपयंत्र) नियम, 1990; जो लागू हो,
2. वाणिज्यिक पोत परिवहन (समुद्र के टकराव रोकना) विनियम, 1975; और
3. वाणिज्यिक पोत परिवहन (जीवन रक्षक उपयंत्र) नियम, 1982 या वाणिज्यिक पोत परिवहन (जीवन रक्षक उपयंत्र) नियम, 1991, जो लागू हो।

1. The Merchant Shipping (Fire Appliances) Rules, 1969 or Merchant Shipping (Fire Appliances) Rules, 1990; as applicable
2. The Merchant Shipping (Prevention of Collision at Sea) Regulation, 1975; and
3. The Merchant Shipping (Life Saving Appliances) Rules, 1982 or Merchant Shipping (Life Saving Appliances) Rules, 1991 as applicable.

[फा. सं. एस आर-11013/3/92-एम ए (एम जी)-खण्ड-11]

[F.No. SR-11013/3/92-MA(MG)-Vol.-II]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.